कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 5324/11–सी–**FP/UP/Road/30569/2017**, लखनऊ, दिनांकः जून 20 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) किमी0 संख्या 49.500 से किमी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–5827/मी0क्षे0/33, दिनांक 15.06.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में (31–60) सेमी0 से अधिक व्यास वाले 5352 वृक्ष अपलोड़ किये गये है जबकि संलग्न सूची में (31–60) सेमी0 से अधिक व्यास वाले वृक्षों की सं0 5328 है। अतः संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाइन भाग–2 में वृक्षों की सं0 अपलोड़ करें।
2. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना दर प्रस्ताव में अंकित हरियाली घनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
3- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु शीर्षक पूर्ण रूप से अंकित नहीं किया गया है तथा सभी Geo Refferenced Digital Map ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नहीं है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
4- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा सभी SOI Toposheet ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नहीं है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
5. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली घनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है। अतः संशोधित वचनबद्धता संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
6. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली घनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है। अतः संशोधित वचनबद्धता संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः हरियाली घनत्व के अनुसार रू0 803000/– की दर से एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
8. ऑनलाईन भाग–2 के कमांक–5 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः कमांक–5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan, फीड करें।
9. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 पर संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भाग–2 व प्रस्ताव से पृथक करें।
10. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर तथा पूर्व में ऑनलाइन अपलोड़ किये गये प्रस्तावों को डिलीट करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने में अत्यन्त लापरवाही बरती जा रही है, जो उचित नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–5334/11–सी– **FP/UP/Road/30569/2017**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
2. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2009